**न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।**
**फौजदारी वाद संख्या 4257/2022**
**उत्तराखण्ड राज्य बनाम सद्दाम**

.....

**दिनांक 13.12.2025**

पत्रावली पेश हुई। राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश सिंह रावत उपस्थित। अभियुक्त या उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं है।

2. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित है प्रस्तुत मामला वर्ष 2022 से लम्बित है तथा तब से मामला अभियुक्त की उपस्थिति हेतु लम्बित चला आ रहा है। अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने हेतु न्यायालय द्वारा मामले में कई बार समन भेजे जा चुके हैं किन्तु अनेकों समन जारी करने के बावजूद भी उक्त समन न्यायालय को तामील या अदम तामील वापस प्राप्त नहीं हो रहे है।

3. प्रस्तुत मामला मोटरयान अधिनियम 1988 से संबंधित है व लघु प्रकृति का है तथा न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बार–बार समन जारी करने में होने वाला सरकारी व्यय, अभियुक्त से वसूल किये जाने वाले जुर्माने से अधिक हो रहा है और अभी तक इस मामले में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पायी है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस मामले की कार्यवाही को धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत रोका जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि अभियुक्त इस मामले में उपस्थित होता है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 300(5) में वर्णित उपबंधों के प्रभाव से पुनः सुनवायी की जा सकेगी।

5. मामले के अभिलेख नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मीनाक्षी शर्मा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हल्द्वानी, जिला नैनीताल।